इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014—श्रावण 6, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-7-2014-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, अनुक्रमांक "**छप्पन-सूचना प्रौद्योगिकी**" का लोप किया जाए,

2. अनुसूची में,—

(क) शीर्षक "**छप्पन-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**" और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

(ख) शीर्षक "**इकतालीस-विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग**" के अधीन,

(एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्, —

"11-अ-(1) सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये स्कीम सम्मिलित है.

(2) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का संवर्धन.

(3) समस्त स्तरों पर नागरिक सेवाओं के सुधार के लिये ई-गवर्नेंस का संवर्धन.

(4) राज्य सरकार के समस्त विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी के, जिसमें कम्प्यूटरीकरण सम्मिलित है, उपयोग का संवर्धन.

(5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सहायता तथा समन्वय.

(6) जनता के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना तथा बोधगम्य बनाना.

(7) राज्य सूचना प्रौद्योगिकी नीति तथा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय.

(8) विभिन्न विभागों को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जनशक्ति नियोजन तथा मानव संसाधन विकास में सहायता देना जिसमें उनके क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा सम्मिलित है.

(9) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन तथा ऐसे ही अन्य आयोजन.

(10) सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्यों को प्रोत्साहन तथा उनकी प्रोन्नति, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी के उपयोग में अभिवृद्धि भी सम्मिलित है.

(11) भारत और विदेशों में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा संगठनों से संबंध.

(12) ई-कामर्स से संबंधित क्रियाकलापों का उन्नयन.

(13) कम्प्यूटरों के लिये साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क तथा हार्ड वेयर पार्क से संबंधित औद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने में प्रोत्साहन और सहायता सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन से संबंधित संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक्स और ऐसे प्रयासों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन.

(14) ग्रामीण इंटरनेट तथा अन्य इंटरनेट आधारित सूचना प्रणाली, को प्रोत्साहन, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिये सूचना बूथों (कीयोस्क) तथा वास्तविक कार्यालयों की स्थापना भी सम्मिलित है.

(15) आप्टीकल फाइबर केबलों, दूरसंचार चैनलों, वायरलेस तथा उपग्रहों (सेटेलाइट) के माध्यम से डाटा और मल्टी मीडिया ट्राफिक के प्रसार से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियाकलापों को प्रोत्साहन.

(16) विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श.

(दो) भाग (आ) में, शब्द ''कुछ नहीं'' के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् ,—

''1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.

(तीन) भाग (उ) में, शब्द ''कुछ नहीं'' के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात,—

1. मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
2. आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड
3. मध्यप्रदेश एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालॉजी (MAP IT) .''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. एफ ए 1-7-2014-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 1-7-2014-एक (1), दिनांक 28 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th July 2014

No. F. A.1-7-2014-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business, (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2,—serial number **"LVI—INFORMATION TECHNOLOGY."** shall be omitted;

2. In the Schedule,—

(a) The heading **"LVI—Information Technology Department"** and entries relating thereto shall be omitted;

(b) Under the heading **"XLI—SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT",—**

(i) In part (A), after serial number 11, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"11-A-(1) Information Technology including schemes for encouraging the Information Technology Industry.

(2) Promotion of investments in the information Technology Sector.

(3) Promotion of e-Governance For imrovment of Citizen Services at all levels.

(4) Promotion of the use of information Technology, including computerization, in all Department of the States Government, Urban and Rural Local Bodies.

(5) Assistance and Co-ordination in respect of the Project peartainang to use of Information Technology Citizen Services by the various Departments of the State Government, Urban and Rural Local Bodies.

(6) Populrizing and demystifying the use of Information Technology among people.

(7) Co-ordination for the implementation of the State Information Technology Policy and Action Plans.

(8) Assistance to various Departments in respect of their activities in manpower planning and human resources development relating specifically to Information Technology, including Information Technology enabled education and Information Technology education.

(9) Seminars, Workshops, Conferences and similar other events relating to Information Technology.

(10) Encouragement and promotion of research and development work relating to Information Technology, including promotion of the use of Hindi in Information Technology.

(11) Relations with Information Technology institutions and organization in India and abroad.

(12) Promotion or activities relating to e-commerce.

(13) Promotion and assistance in setting up industrial centers relating to software technology parks and hardware parks for computers, communication equipments relating Information Technology, entertainment, electronics and encouragement to private participation in such efforts.

(14) Promotion of rural internets, and other internet based information systems including setting up of information kiosks and virtual offices for various services.

(15) Promotion of information technology activities relating to dissemination of date and multimedia traffic through optical fiber cables, telecommunication channels, wireless and satellites.

(16) Consultation in respect of the Information Technology programmes and sub-plans of various Department".

(ii) In part (B), for the word "Nil" the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"1. Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) and rules made thereunder.",

(iii) In part (E), for the word "Nil" the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"1. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd.

2. Optel Telecommunications Ltd.

3. Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology (MAP IT).".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.